

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प
पटेलनगर

वादी

बनाम

प्रतिवादी

पिन्टूराम

राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या-156/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
18.11.2021	<p>प्रार्थी पिन्टूराम पुत्र नाथूराम जाति बावरी निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प पटेलनगर में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 444 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754 रकबा 2.0872 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3007 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता नाथूराम पुत्र उंकारराम बावरी की थी। नाथूराम का देहान्त सन् 2007 में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम पिन्टूराम के बजाय गोंबरराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम पिन्टूराम है तथा सरकारी दस्तावेज भी पिन्टूराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में गोबरराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर पिन्टूराम पुत्र नाथूराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।</p> <p>वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी पिन्टूराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी पिन्टूराम का राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि पेश किये</p>	

है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 छोटूराम पुत्र नाथूराम जाति बावरी निवासी रणसीगांव के बयान कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में गोबरराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम पिन्टूराम के बजाय गोबरराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 444 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754 रकबा 2.0872 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3007

हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में गोबरराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर **पिन्टूराम पुत्र नाथूराम** जाति बावरी निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम पटेलनगर में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इत्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेलनगर

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
पिन्दूराम पुत्र नाथूराम जाति बावरी निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 156/2021

निर्णय

दिनांक :- 18.11..

2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या-1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पै"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 444 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754 रकबा 2.0872 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3007 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में गोबरराम पुत्र नाथूराम के स्थान पर **पिन्दूराम पुत्र नाथूराम** जाति बावरी निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिंग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		

स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपरखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा